(1) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में किसी भी अन्य परीक्षण पर भरोसा नहीं किया है कि कंपनी को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य का दर्जा रखने वाला प्राधिकरण माना जाना चाहिए।

(2) परिणामस्वरूप, प्रारंभिक आपत्ति प्रबल है और हम यह धारित करते हैं कि कंपनी राज्य का यंत्र या एजेंसी नहीं है और इसके खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है। इस दृष्टिकोण में, इन रिट पिटीशन्स के योग्यता पर न्याय करने की आवश्यकता नहीं है। इस परिणाम स्थिति में, रिट पिटीशन्स को बिना लागत के कोसा गया है।

(3) अलग होने से पहले, यह कहा जा सकता है कि याचिककर्ताओं ने जो कंपनी के परिसर में निवास कर रहे हैं, उन्होंने तत्काल निष्कासन का अंदेश देखकर उन्होंने इसे तीन महीने के भीतर खाली करने का प्रतिश्रुति दी है और इसलिए, कंपनी से इसे उन तक पहुंचाने से रोका जाता है।

एस.सी.के.

न्यायमूर्ति जी आर मजीठिया के समक्ष

सुमेर चंद,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचकुला, जिला अंबाला और अन्य, -प्रतिवादी।

1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 6455।

11 अक्टूबर, 1990.

पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955—एस. 32-ए-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12-सफीदों ग्राम उद्योग समिति, एक पंजीकृत सोसायटी, जिसे हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ऋण दिया गया था-वसूली की मांग-ऋण का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप बोर्ड ने धारा 32 के तहत वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। -ए-धारा 32-ए के अल्ट्रा वायर्स को चुनौती दी गई- अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक, मांगें' और 'अन्य प्राधिकारी'-एम्बिट-बोर्ड लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई एक संस्था है जो 'अन्य प्राधिकारी' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है और इस प्रकार, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है - 'सार्वजनिक मांगों' के दायरे में आने वाले अधिनियम के तहत ऋण अग्रिम करने के लिए बोर्ड का कार्य, राज्य विधायिका 'सार्वजनिक मांगों' के संबंध में कानून बनाने में सक्षम है - धारा 32-ए अधिकारातीत नहीं है .

निर्णय, कि अनुच्छेद 12 में व्यक्त शब्द 'अन्य प्राधिकृतिक प्राधिकरण' सभी संविधानिक या कानूनी प्राधिकरणों को शामिल करेगा जिन पर कानून द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह तो कुछ शक्तियों का कुछ हिस्सा यह बताने के लिए कोई भी पदार्थी नहीं है कि प्राधिकरण पर कुछ शक्तियाँ संविधान के तहत वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाने के लिए हो सकती हैं, संविधान में राज्य को इसे व्यापार या व्यापार चलाने का अधिकार है जैसा कि अनुच्छेद 19(1) (g) में उल्लिखित है। इस प्रकार, संविधान के तहत, राज्य को लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए निकायों को शामिल किया जाता है। इस कारण, हरियाणा खादी और गाँव उद्योग बोर्ड अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकृतिक प्राधिकरण' के अभिव्यक्ति के भीतर आता है।

(पैरा 6)

निर्णय, कि पंजाब खादी और गाँव उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 में सेक्शन 32-ए को पंजाब अधिनियम संख्या 12, 1961 के अनुसार सम्मिलित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी राशियाँ, जिसमें बोर्ड द्वारा दी गई सभी राशियाँ और ऋण, या इसके संबंध में किसी भी ब्याज या लागत को शामिल किया जाता है, जो अधिनियम के तहत बोर्ड को हो रही हैं, और चाहे ऐसी राशियाँ किसी समझौते के कारण हों या अन्यत्र, उन्हें भूमि राजस्व के रूप में पुनर्प्राप्त किया जा सकेगा। बोर्ड का कार्य था लोगों की सहायता करना, उन्हें उनके घरों में काम प्रदान करना और उन्हें मौद्रिक सहायता प्रदान करना। अभिव्यक्ति 'मौद्रिक सहायता' में अधिकारियों और शर्तों के साथ अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए अनुदान और ऋण प्रदान करना शामिल है। अधिनियम के तहत प्रदान किए गए ऋण सीमा में होते हैं। राज्य विधायिका 'सार्वजनिक मांगों' के साथ संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम था। सेक्शन 32-ए ने यहां तक कि अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा प्रदान की गई ऋणों को भूमि राजस्व

के पुनर्प्राप्ति की तरह एक तेजी से तरीके से प्राप्त किया जा सकता था, के व्यायाम के रूप में सेक्शन 32-ए को समाहित किया गया था। अधिनियम के तहत एक विधायिक निकाय के रूप में, सेक्शन 32-ए के अनुसार बोर्ड को द्वारा देय राशि भूमि राजस्व के रूप में पुनर्प्राप्त की जा सकती है।

(पैरा 71)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि-

(i) मामले के रिकॉर्ड तलब किए जाएं;

(ii) और इसके अवलोकन पर यह माननीय न्यायालय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी-8 और पी-9 को रद्द करते हुए सर्टिओरीरी रिट जारी करने में प्रसन्न हो सकता है;

(iii) वर्तमान रिट याचिका का निर्णय होने तक विवादित आदेश अनुलग्नक पी-8 और पी-9 के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए;

(iv) कोई अन्य उचित रिट, आदेश, या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, जारी किया जाएगा;

(v) मामले की तात्कालिकता को देखते हुए अनुलग्नक पी-1 से पी-9 की प्रमाणित/मूल प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है;

(vi) मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए कृपया प्रतिवादियों को अग्रिम नोटिस जारी करने से मना कर दिया जाए;

(vii) न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के हित में याचिका की लागत याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ दी जा सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील डी. डी. गुप्ता

प्रतिवादियों की ओर से एम.एस. जैन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता, संजीव शर्मा, अधिवक्ता के साथ

<u>निर्णय</u>

जी. आर. मजीठिया, न्यायमूर्ति

1. यह निर्णय सिविल रिट याचिका संख्या 1989 की 6455, 1989 की 16415, 89 की 7612 और 1989 की 8019 का निपटान करेगा क्योंकि कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न इसमें शामिल हैं।

2. निर्धारण के लिए उत्पन्न कानून के प्रश्न के समाधान के लिए प्रासंगिक तथ्यों का संदर्भ 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 6455 में दी गई दलीलों से किया गया है।
3. सफीदों ग्राम उद्योग समिति, सफीदों एक समाज जो समाजों के पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है (संक्षेप में समिति), उत्तरदाता संख्या 1 ने समिति को 20,000 रुपये का ऋण दिया। यह ऋण की चुकता देने के लिए पेशेवर व्यक्ति के रूप में पेशेवर किए जाने के लिए प्रावधानिक रूप से पेशेवर व्यक्ति ने अपनी दुकान संख्या 15, अनाज मंडी, सफीदों में अपने हिस्से की गिरवी रखी। उत्तरदाता संख्या 1 ने समिति को और भी 48,000 रुपये का ऋण दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में 12 जून, 1984 के बंधक विलेख के माध्यम से अतिरिक्त संपत्तियां गिरवी रख दीं। 20,000 रुपये का ऋण। ऋण उपयोगिता प्रमाण पत्र में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने 30 अक्टूबर, 1987 के पत्र के माध्यम से सोसायटी से पूरा ऋण वापस ले लिया। किश्तों और मूल राशि पर जमा ब्याज का भुगतान न करने पर ऋण वापस ले लिया गया। पत्र में यह भी कहा गया था कि यदि ऋण नहीं चुकाया गया तो राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में और गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री से वसूल की जाएगी। समिति ने उत्तरदाता संख्या 1 को ऋण को अचानक वापस बुलाने के लिए प्रतिष्ठान दी। उत्तरदाता संख्या 1 ने 27 दिसंबर 1988 को रिकवरी प्रमाणपत्र संख्या 101, जिसमें 1,00,651 रुपये और उस पर ब्याज की मांग थी, की पुनर्प्राप्ति के लिए कार्रवाई के लिए जिंद कलेक्टर को भेजा, भूमि राजस्व अधिनियम के अनुसार राशि को भूमि राजस्व के रूप में पुनर्प्राप्त करने के लिए अधिनियम के धारा 6(b) के तहत कार्रवाई करने के लिए। मुख्य सचिव के द्वारा नोटिस किए बिना पेशेवर व्यक्ति के पास पुनर्प्राप्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 ने प्रमाणपत्र जारी किया उसे पंजाब खादी और गाँव उद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के धारा 32-ए के तहत अधिकार चलाने के लिए किया गया था , या धारा 32 -ए का सारा कानून से बाहर है, यह आपत्ति की गई है कि यह राज्य विधायिका की सांसदीय सक्षमता के बाहर है।
4. उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से लिखित बयान दिया गया था। प्रारंभिक आपत्तियों में यह दावा किया गया था कि पेशेवर व्यक्ति श्री किशन चंद, जो आपके वाकिल हैं, उनके दो बेटे श्री नरेश कुमार और श्री सुरेश कुमार समिति के प्रमुख और सचिव तथा कैशियर थे, क्योंकि वे आपके बच्चे थे। समिति ने भी उत्तरदाता संख्या 1 से 44,000 रुपये का ऋण लिया, और इस राशि के केवल उसके प्रमुख के प्रति 2,666.66 रुपये और ब्याज के प्रति 1,920 रुपये का भुगतान किया गया। इस राशि के अलावा, समिति को प्रदान किए गए ऋण के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया गया। प्रार्थी के भाई ने भी इस महकमे में सिविल रिट पीटीशन नंबर 7612 ऑफ 1989 दाखिल की थी, इसमें यह निरस्त किया गया

था कि प्राप्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने पर आपको सुनवाई का अवसर नहीं मिला था। बोर्ड के जिला खादी और गाँव उद्योग अधिकारी ने 21 नवम्बर 1989 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें समिति से पूरे राशि रुपये 68,000 लौटाने के लिए कहा गया था क्योंकि इकाई उत्पादन में नहीं गई थी। इसके बाद, उत्तरदाता संख्या 1 का एक और संवाद दिनांक 13 अक्टूबर 1987 को प्राप्त हुआ, जिसमें पेशेवर व्यक्ति से समिति को सम्पूर्ण ऋण राशि चुक्त करने के लिए कहा गया था। नोटिस प्राप्त करने का तारीख 5 दिसंबर 1987 को पेशेवर व्यक्ति को सेवित किया गया। 17 अगस्त 1988 को पत्र लिखा गया था, जिसमें समिति के सचिव से कहा गया था कि ऋण राशि चुकता करें, जिसमें यदि असफल रहा तो राशि भूमि राजस्व के रूप में पुनर्प्राप्त की जाएगी। प्राथमिक रूप से प्राप्ति प्रमाणपत्र देखकर प्राप्ति करने से प्राथमिक रूप से इनकार कर दिया गया था। प्राथमिक रूप से प्राप्ति प्रमाणपत्र में सामग्री नहीं बताने के कारण, प्राप्ति प्रमाणपत्र को सुप्रेसिओ वेरी के लिए खारिज किया जाना चाहिए। मेरिट्स पर, यह कहा गया था कि समिति को प्रदान किए गए ऋण पर वार्षिक 4 प्रतिशत ब्याज देना था। क्योंकि ऋण लेने वाली समिति ने ऋण समझौते द्वारा निर्धारित किए गए किस्तों के भुगतान में दोष किया, इसलिए ऋण लेने वाले से वार्षिक 5 प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त राशि वसूल की जा सकती थी। कुल ऋण राशि 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ चुकानी होगी। यह स्वीकार किया गया कि ऋण की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने भू-राजस्व के बकाया के रूप में ऋण राशि की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 32-ए के तहत कार्रवाई का सहारा लिया है। ऋण राशि की वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति को पहली बार में बेचा जाएगा। इन कार्यवाहियों का सहारा केवल तभी लिया जाता है जब ऋण लेने वाला ऋण की राशि किस्तों में नहीं चुकाता है जो भूमि, भवन और मशीनरी की खरीद के लिए दिए गए ऋण के मामले में दो साल के बाद और तीन साल के बाद दिए गए ऋण के मामले में देय हो जाती है। कार्यशील पूंजी। सोसायटी और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने के बावजूद न तो मूल राशि और न ही उस पर ब्याज का भुगतान किया गया। प्राथमिक रूप से, प्राप्ति करने वाले के भाई ने एक अलग सीधी याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसे 44,000 रुपये का ऋण मिला था। इस राशि के बाहर, 24,000 रुपये का मार्च 31, 1981 को साबुन निर्माण के लिए मशीनरी की खरीद के लिए वित्त प्रदान किया गया था, जिसका भुगतान मार्च 31, 1983 से शुरू होना था और और एक और राशि 20,000 रुपये का कामकाजी सीमा के रूप में दिनांक 23 अगस्त 1982 को वित्त प्रदान किया गया था, और जिसकी वसूली अगस्त 23, 1985 से शुरू होनी थी और जिसका ऋण राशि को तीन समान किस्तों में चुक्ता किया जाना था। इस समय Rs 68,000 समिति को धान और दाल की प्रसंस्करण के लिए कार्यक्षमता के रूप में मिले थे। ऋण राशि के बाहर, 20,000 रुपये का भुगतान

मार्च 31, 1983 को किया गया और 48,000 रुपये को सितंबर 17, 1984 को किया गया था। पूरे ऋण राशि को तीन किस्तों में चुक्ता किया जाना था, पहली किस्त तीसरे वर्ष के अंत से शुरू होनी थी। पहली किस्त का 30 प्रतिशत हिस्सा, दूसरी किस्त का 30 प्रतिशत हिस्सा और तीसरी किस्त का 40 प्रतिशत हिस्सा और भी ब्याज वार्षिक रूप से चुकता किया जाना था। दोनों राशियों की राशि के साथ ब्याज के संचित होने पर किस्तें निम्नलिखित तारीखों पर निर्धारित हो गई थीं: —

ऋण की राशि	पहली किस्त	दूसरी किस्त	तीसरी किस्त
रु. 20,000/-	31-3-1986	31-3-1987	31-3-1988
रु. 48,000/-	17-9-1987	17-9-1988	17-9-1988

ऋण की राशि 68,000रुपये में से केवल रु 1,000 ऋण राशि की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू होने के बाद 15 अप्रैल 1989 को रुपये का भुगतान किया गया था। सोसायटी के पदाधिकारियों को वैध नोटिस दिए गए थे लेकिन उन्होंने ऋण राशि नहीं चुकाई थी। याचिकाकर्ता ने अपने भाई किशन चंद के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 से कुल रु 1,12,000. का ऋण प्राप्त किया। यह कहा गया कि अधिनियम की धारा 32-ए अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है और वसूली की कार्यवाही सही ढंग से शुरू की गई है।

5. बार में प्रचारित एकमात्र मुद्दा यह था कि 1981 के प्रमुख पंजाब अधिनियम संख्या 12 में पेश की गई अधिनियम की धारा पंजाब राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे थी। निर्धारण के लिए दो मौलिक मुद्दे उठते हैं, अर्थात्, क्या प्रतिवादी नंबर 1 संविधान के अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकरणों" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और क्या अधिनियम की धारा 32-ए संविधान के अंतर्गत आती है। प्रतिवादी नंबर 1 (बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित), आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 3 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और गैर-सरकारी सहित समय-समय पर सरकार द्वारा नियुक्त 18 से अधिक सदस्य शामिल नहीं होने थे। बोर्ड, जब तक कि सरकार द्वारा जल्द ही भंग न कर दिया जाए, अपनी स्थापना की तारीख से तीन साल की अवधि तक या उसके बाद एक नया बोर्ड नियुक्त होने तक जारी रहेगा। सरकार, राज्य विधानमंडल की पूर्व मंजूरी से, आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकती है कि किसी विशेष तिथि से, बोर्ड भंग हो जाएगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, या बोर्ड का कोई अन्य सदस्य राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करता है। नियुक्ति के लिए या बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्यता

क़ानून में निर्धारित है। सरकार को किसी सदस्य को बोर्ड से निलंबित करने या हटाने का अधिकार है। बोर्ड को ग्रामीण उद्योगों को संगठित करना, विकसित करना और प्रचार करना है और ऐसे कार्य करना है जो सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकती है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना है जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। बोर्ड को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में उल्लिखित सभी या किसी भी कर्तव्य का निर्वहन और पालन करना होगा। इसमें लोगों को उनके घरों में काम दिलाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना भी शामिल है। मौद्रिक सहायता की अभिव्यक्ति में अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर अनुदान और ऋण देना शामिल है जो निर्धारित किए जा सकते हैं। सरकार अधिनियम के प्रयोजन के लिए, बोर्ड के उपयोग और प्रबंधन के लिए भवन, भूमि, या किसी अन्य चल या अचल संपत्ति को ऐसी शर्तों और सीमाओं पर बोर्ड को हस्तांतरित कर सकती है, जिन्हें सरकार उचित समझे। सरकार अधिनियम के तहत लगाई गई शर्तों और सीमाओं के अधीन, सरकार द्वारा संचालित या प्रबंधित की जाने वाली सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ ऐसी योजनाओं या प्रगति पर चल रहे कार्यों को बोर्ड को हस्तांतरित कर सकती है। सरकार, समय-समय पर, सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को सबवेंशन और अनुदान दे सकती है। सरकार ऐसे नियमों और शर्तों पर भी बोर्ड को ऋण दे सकती है जो अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों। बोर्ड को, सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर, सरकार द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों के कार्यक्रम और अनुसूची के अनुसार पूंजी और राजस्व खातों पर अनुमानित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करना होगा। अपने कार्यों के निर्वहन में, बोर्ड को नीति के प्रश्न पर ऐसे निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो सरकार द्वारा उसे दिए जा सकते हैं। यदि सरकार और बोर्ड के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं, तो सरकार का निर्णय अंतिम होगा। सरकार को बोर्ड और उसके अधिकारियों पर परराष्ट्र और नियंत्रण का प्रशासन करना था और वह उस सूचना के लिए कह सकती थी जो वह आवश्यक मानती है और इसको यह निर्णय करने के मामले में कि बोर्ड ठीक से कार्य नहीं कर रहा है या यह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या प्रबंधन का दोषी है, तो यह बोर्ड को निलंबित कर सकती थी। बोर्ड के सदस्यों और बोर्ड के कर्मचारियों के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के तहत लोक सेवक माना जाएगा। सरकार, अधिसूचना के आधार पर, अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, अधिनियम और उसके तहत बनाई गई सवारी के अनुरूप नियम बना सकता है और ऐसे नियमों को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

6. **<u>सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ और अन्य</u>**[1] मामले में, शीर्ष न्यायालय ने यह माना था कि किसी इकाई को राज्य एजेंसी या साधन के रूप में घोषित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख विचार हैंः

"(i) यदि राज्य के वित्तीय संसाधन मुख्य वित्त पोषण स्रोत हैं,

(ii) कार्यात्मक चरित्र मूलतः सरकारी होना,

(iii) सरकार में रहने वाला पूर्ण नियंत्रण,

(iv) सरकार द्वारा उसी गतिविधि को चलाने और नए निकाय को सौंपने का पूर्व इतिहास और,

(v) अधिकार या आदेश का कुछ तत्व।

अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकृतियों" का अर्थ ऐसे सभी संवैधानिक या सांविधानिक प्राधिकृतियों को शामिल करेगा जिन पर कानून द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं। यह समर्थन प्राप्त करने वाली प्राधिकृति पर कुछ अधिकारों का उद्दीपन करना यह कोई भी योग्यता नहीं है कि उनमें से कुछ सांविधानिक गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से हो सकते हैं, संविधान में स्वयं को व्यापार या व्यापार करने का अधिकार है जैसा कि धारा 19(1)(g) में उल्लेख है। जैसा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, राज्य में लोगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए निकायों को शामिल किया गया है। प्रतिवादी नंबर 1 इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत इसे "अन्य प्राधिकारी" घोषित करने के लिए सोम प्रकाश रेखी के मामले में उल्लिखित सभी पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकरण' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है।

7. संविधान का अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों के संदर्भ में, संघ और राज्य विधानमंडल के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। संक्षेप में, अनुच्छेद का सार यह है कि केंद्रीय संसद के पास सूची I में मामलों के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण और विशेष शक्ति है और सूची III में मामलों के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है।. दूसरी ओर, राज्य विधानमंडल के पास सूची II में शामिल मामलों के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, सूची I और III में आने वाले मामलों को छोड़कर और सूची III में शामिल मामलों के संबंध में समवर्ती शक्ति है। कानून बनाने के लिए विधानमंडल की क्षमता विधानमंडल की शक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित की जानी है क्योंकि वे कानून के अधिनियमन के समय मौजूद थे। तीन सूचियों की प्रविष्टियों को संकीर्ण या पांडित्यपूर्ण अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि उनका पूरा अर्थ और व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए ताकि उनका दायरा सभी सहायक और सहायक मामलों तक बढ़ाया जा सके, जिन्हें उनमें

---

[1] ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 212

निष्पक्ष और उचित रूप से समझा जा सके। सूची III समवर्ती सूची का आइटम 43, किसी राज्य में करों और अन्य सार्वजनिक मांगों के संबंध में दावों की वसूली से संबंधित है, जिसमें भूमि-राजस्व का बकाया और उस राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाले ऐसे बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि शामिल है। बोर्ड द्वारा दिए गए ऋण सरकार द्वारा उसके निपटान में रखी गई धनराशि से दिए जाते हैं और ये 'सार्वजनिक मांगों' के दायरे में आएंगे। राज्य विधानमंडल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III - समवर्ती सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बना सकता है। धारा 32-ए मुख्य अधिनियम में पंजाब अधिनियम संख्या 12 के द्वारा डाली गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सभी राशियों, सहित अनुदान और ऋण, या इसके संबंध में किसी भी रुपये या ब्याज को, और चाहे ऐसी राशियाँ किसी समझौते के आधार पर हों या अन्यत्र इस प्रमुख के तहत बोर्ड को द्वारा दिया गया हों, या इस प्रकार के किसी भी समझौते के द्वारा ऐसी राशियाँ बनी हों, वह सभी राशियाँ भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जाएं। बोर्ड का कार्य लोगों की मदद करना, उन्हें उनके घरों में काम दिलाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना था। अभिव्यक्ति 'मौद्रिक सहायता' में अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसे नियमों और शर्तों पर अनुदान और ऋण देना शामिल है जो निर्धारित किए जा सकते हैं। अधिनियम के तहत दिए गए ऋण सार्वजनिक मांगों के दायरे में आते हैं।' राज्य विधायिका 'सार्वजनिक मांगों' के संबंध में कानून बनाने में सक्षम थी। धारा 32-ए को विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया था ताकि अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा दिए गए ऋणों को भू-राजस्व के बकाया की तरह त्वरित तरीके से वसूल किया जा सके। इस प्रावधान के आधार पर बोर्ड, जो अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है, को देय राशि भूमि राजस्व के बकाया के समान ही वसूली योग्य है। विद्वान वकील की यह दलील कि अधिनियम की धारा 32-ए राज्यों की विधायी क्षमता से परे है, इस प्रकार निराधार है। इससे पहले कि मैं फैसले से अलग हो जाऊं, वकील के लिए यह उचित होगा कि वह **जी.एन. वेंकटस्वामी बनाम तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम और अन्य**[2] के रूप में रिपोर्ट किए गए फैसले का संदर्भ लें, जिसमें उनके प्रस्तुतीकरण के समर्थन में उद्धृत किया गया है कि धारा 32 ए का सम्मिलन- 1961 के अधिनियम संख्या 12 द्वारा मूल अधिनियम में राज्य विधानमंडल की क्षमता से परे था। इस मामले में, तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम (1984 की संख्या 2) (72 की अधिनियम संख्या 12 द्वारा संशोधित) की धारा 52-ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। संशोधित अधिनियम द्वारा जोड़ी गई धारा 52-ए में कहा गया है कि निगमों अर्थात तमिलनाडु लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड और ऐसे निगमों को देय

[2] ए.आई.आर. 1981 मद्रास 318.

राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है। राज्य के 'सार्वजनिक ऋण' से संबंधित सूची II की प्रविष्टि 43 का उल्लेख करने के बाद पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक ऋण' का तात्पर्य केवल राज्य द्वारा जनता से उधार लेना है और इसमें देय कोई भी राशि नहीं ली जाती है। जनता ने सरकार से अपील की और उस आधार पर अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची कि राज्य विधानमंडल किसी ऐसी चीज़ को भू-राजस्व के रूप में मानने और उसके संबंध में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पीठ की प्रासंगिक टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगाः -

"इस प्रकार, सूची 1 के अनुच्छेद 45 केवल राज्य को देने वाले भूमि राजस्व के साथ संबंधित है और इसका किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य को कर्जदार होने वाले किसी राशि के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि सूची के तहत राज्य संसद को एक कानून बनाने के लिए कोई शक्ति नहीं होगी जिसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति के द्वारा चुकता किए जाने वाले किसी भी राशि को तमिलनाडु स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऐसे अन्य कॉर्पोरेशनों को एकत्र करने के लिए एक कानून बनाने के लिए। जब संविधान का प्रमुख और स्पष्ट मतलब होता है और इसी अर्थ में संविधान में उपयोग किया गया है, तो किसी चीज को जो भूमि राजस्व नहीं है, उसे भूमि राजस्व के रूप में देखने के लिए राज्य संसद को एक कल्पना के रूप में नहीं बनाए रखने की अनुमति नहीं है और उसके संबंध में एक कानून बनाने के लिए।"

टिप्पणियों से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इस निर्णय के अनुपात का तत्काल मामले के तथ्यों से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। उच्च न्यायालय ने संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची III के आइटम 48 की प्रयोज्यता पर कोई राय नहीं दी।

जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड [3] मामले में निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता हैः -

"9. हालांकि याचिकाकर्ताओं ने अचल संपत्ति की बिक्री से ऋण की वसूली के लिए किसी विशिष्ट समझौते की वकालत नहीं की है, फिर भी पार्टियों की दलीलों और पत्र अनुबंध पीआई/ए की सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारियों ने पहले बोर्ड के पास गिरवी रखी अचल संपत्ति की बिक्री से देय ऋण की राशि वसूली का इरादा किया था । धरम सिंह के मामले (सुप्रा) में टिप्पणियाँ पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में भी की गई हैं। नतीजतन, हमारा मानना है कि अधिकारियों को ऋण लेने वालों की गिरफ्तारी और हिरासत जैसे जबरदस्त उपायों का सहारा लेने से पहले, पहले उदाहरण में, बोर्ड के पास गिरवी रखी गई संपत्ति की बिक्री के माध्यम से बकाया राशि वसूलने की

[3] 1989 P.L.J. 386.

कोशिश करनी थी। हालाँकि, यदि कुछ राशियाँ तब तक बकाया रहती हैं, तभी राजस्व अधिकारी डिफॉल्टर ऋणदाता की गिरफ्तारी और हिरासत द्वारा बकाया की वसूली कर सकते हैं। हम, हालांकि, स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमने भूमि राजस्व अधिनियम के अनुच्छेद 57 के प्रावधानों का अनुसरण ऋण द्वारा प्रदान की गई राशि के संदर्भ में किया है और ये सिद्धांत राज्य को बकाया करों, शुल्क, आदि की वसूली के मामलों में लागू नहीं हैं।

8. इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। उसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। परामर्श शुल्क रु. 1,000.

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति ए एल बहरी के समक्ष

राजवंत कौर मट्टा (श्रीमती), -याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स अरोड़ा फीड मिल्स, पटियाला और अन्य, -प्रतिवादी

1990 का नागरिक संशोधन क्रमांक 2978।

7 मार्च, 1991

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)-आदेश 23, नियम 1-मुकदमा वापस लेना-पिछला मुकदमा वादी के बयान "फिलहाल वह मुकदमे के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता और उसे वापस ले लेता है" पर वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया - कार्रवाई के उसी कारण पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति नहीं दी गई - नया मुकदमा वर्जित है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा